

उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, 8, तिलक मार्ग, लखनऊ

अल्पकालिन ई-निविदा सूचना

संदर्भ सं०- २०१०/2017-18 /1 दिनांक १२.१०.२०१७

उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय लखनऊ में कार्यालय उपयोगार्थ स्टेशनरी/लेखन सामग्री कन्ज्यूमेबिल्स एवं अन्य सामग्री की निर्धारित नियम/शर्तों के तहत आपूर्ति किये जाने हेतु व्यापार/वाणिज्य कर/आयकर विभाग में पंजीकृत फार्मा/डीलरों से ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है।

ई-निविदा प्रपत्र उ०प्र० सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है जो दिनांक 28.09.2017 से 24.10.2017 सायं 5:00 बजे तक डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र का मूल्य रू०-400.00+ 18%जी.एस.टी. (अप्रतिदेय) होगा। निविदा के साथ धरोहर धनराशि रू० 8000.00 (रूपया आठ हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। निविदाये तकनीकी पक्ष एवं वित्तीय भाव पक्ष अलग-अलग उपलब्ध कराये जायेंगे। पोर्टल पर प्राप्त होने वाली निविदाये दिनांक 25.10.2017 को अपरान्ह 4:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी द्वारा नामित क्रय समिति के प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेंगी। एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित है।

सूचनाधिकारी (साम०प्रशा०)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उक्त निविदा विभागीय वेबसाइट www.upkvib.gov.in पर भी उपलब्ध है।

46	Steel scale		1								
47	Dak pad		1								
48	Stamp pad	Kings	1								
49	Pad ink	Kings	1								
50	Goand bottel		1								
51	Hiliter	Faber-castell	1								
52	Pen stand		1								

U.P KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD
8, Tilak Marg, Lucknow.

Official Stationaries & Other consumables

Bid Reference No. **2080/2017-18**
Date of Publication of Tender: **28.09.2017**
Date of Commencement of Sale of Tender Document: **29.09.2017**
Last Date and time for receipt of bids: **24.10.2017 5:00 P.M**
Time and date of opening of bids: **25.10.2017 4:00 P.M**

Address for Communication: **U.P Khadi & Village Industries Board**
8, Tilak Marg, Lucknow.

General Information

- 1) Name of Company: 0 .
- 2) Full Address of the Company: 0 ..
- 3) Pin code: 0 0 0 0 0 ..
- 4) Telephone No. 0 0 0 0 0 ..
- 5) Fax Number: 0 0 0 0 0 ..
- 6) e-mail address 0 ..
- 7) Tin Number 0 0 0 0 0 0 0 ..
- 8) Pan Number 0 0 0 0 0 0 0 .
- 9) GST No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..
- 10) Details of Earnest Money Deposit: 0 ..
 - a) Amount: Rs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - b) Bank Guarntee F.D.R. No.:...0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 - c) Issuing Date: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMD Rs. 8000=00 should be deposited by the vendor in the form of demand draft in favour of **U.P Khadi & Village Industries Board, Lucknow.**

नियम एवं शर्तें

- 1-निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत की जानी वाले निविदा दर खोलने की तारीख से 12 माह के लिये मान्य होनी चाहिये।
- 2-निविदादाताओं द्वारा निविदा हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तें हस्ताक्षरित न होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी तथा निरस्त कर दी जायेगी।
- 3-निविदा प्रस्ताव के साथ धरोहर धनराशि रू0 8000/- (रुपये आठ हजार मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट जो “उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड” के पक्ष में देय दिया जाना अनिवार्य है।
- 4-ई-निविदा प्रपत्र उ0प्र0 सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://etender.up.nic.in> एवं www.upkvib.gov.in पर उपलब्ध है।
- 5-निर्धारित समयावधि से पूर्व निविदादाता द्वारा निविदा वापस ले लिये जाने पर विभाग इस तरह की वापसी की अनुमति के लिये मुक्त हो जायेगा किन्तु ऐसे मामले में निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 6-निविदा प्रस्ताव के साथ धरोहर धनराशि प्रेषित न किये जाने पर निविदा प्रस्ताव निरस्त कर दिया जायेगा।
- 7-डाक द्वारा अथवा विलम्ब से प्राप्त निविदा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 8-सभी निविदाएं विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगी।
- 9-निविदादाता द्वारा देय सभी करों सहित सामग्री की दरें अंकित की जायेगी एवं दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगी।
- 10-निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त होने वाली निविदाएं गठित समिति द्वारा ऑनलाइन दिनांक 25.10.2017 समय 4.00 बजे खोली जायेंगी। निविदा खोले जाने की तिथि को सार्वजनिक अवकाश की स्थिति में निविदाएं अगले कार्य दिवस को खोली जायेंगी।
- 11-निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जायेगा-
 - i. फर्म के व्यापार कर/बिक्रीकर एवं आयकर विभाग में पंजीकरण का प्रमाण,
 - ii. फर्म के पंजीकृत होने का प्रमाण अथवा साझेदारी फर्म के मामले में विलेख की प्रति,
 - iii. सरकारी विभागों/संस्थाओं में आपूर्ति का दो वर्षों का प्रमाण,
 - iv. गत दो वर्षों का आयकर क्लियरेंस का प्रमाण,
 - v. फर्म के पिछले दो वर्षों की सत्यापित बैलेंस शीट की प्रति,
 - vi. निविदा में अंकित कार्यों के साइज एवं मात्रा की दरें अलग-अलग दी जायेगी।
- 12-निविदादाता फर्म आपूर्ति आदेश दिये जाने पर निर्धारित समयावधि के अन्दर सामग्री की आपूर्ति की जानी होगी। बोर्ड मुख्यालय पर सामग्री की आपूर्ति के मध्य किसी भी प्रकार के नुकसान एवं क्षति के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- 13-आपूर्ति की जाने वाली समस्त सामग्री नयी एवं निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिये।
- 14-समस्त कार्य विधित्तियों/मानक के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होगा आपूर्ति निर्धारित मानकों के अनुसार न किये जाने पर ऐसी सामग्री को तत्काल आपूर्तिकर्ता द्वारा हटाना होगा तथा अधिकतम दो दिन के अन्दर ऐसी सामग्री बदली जायेगी।

- 15-निविदा प्रक्रिया में असफल निविदादाताओं, जिनकी निविदा मान्य नहीं की गयी है, के मामले में जमा धरोहर धनराशि एक माह के भीतर सामान्य रूप से वापस की जायेगी।
- 16-आयकर एवं जी0एस0टी0 इत्यादि की कटौती नियमानुसार उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा की जायेगी।
- 17-किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का होगा। उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा तथा उन विक्रेताओं, जिनकी निविदाओं को अस्वीकार कर दिया गया है, के मामले में किसी भी स्प टीकरण के लिये बाध्य नहीं है।
- 18-किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी एकमात्र मध्यस्थ होगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। सभी विवादों का निपटारा लखनऊ स्थित न्यायाधिकरण के अधीन होगा।
- 19-यह एतद्वारा घोषित किया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा दस्तावेज, जिस पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं, की क्रमांक 01 से 19 तक अंकित सभी शर्तों/नियमों को पढ़ लिया गया है और निविदा के सभी नियम एवं शर्तें पूरी तरह से स्वीकार्य है और हमारे द्वारा सभी नियम एवं शर्तों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

हस्ताक्षर.....

तारीख.....

नाम एवं पता.....

मो0नं0.....

(फर्म की मोहर सहित)

योजनाधिकारी (सा0प्रथा0)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी